

प्रेषक,

अपर मुख्य सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
उ०प्र० शासन,
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: UPSACS/DACC/Formation/2009-10/ 320

दिनांक: 12/07/2021

विषय: जनपद स्तर पर राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु जिला एड्स समन्वय समिति (District AIDS Co-ordination Committee) को प्रभावी रूप से क्रियाशील करने के सम्बंध में।

महोदय/महोदया,

कृपया पत्र संख्या— UPSACS/ formation DACC/ 2009-10/ 93732-93802 दिनांक 12 जनवरी, 2010 (संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो जनपद में जिला एड्स समन्वय समिति के गठन एवं दायित्वों के सम्बंध में है।

उपर्युक्त संदर्भित पत्र/शासनादेश में वर्तमान परिपेक्ष्य के अनुसार कार्यक्रमों में समरूपता लाने हेतु निम्नवत आंशिक संशोधन किया गया है:—

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. जिलाधिकारी | — अध्यक्ष, डी.ए.सी.सी. |
| 2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी | — सदस्य, डी.ए.सी.सी. |
| 3. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (जिला चिकित्सालय) | — सदस्य, डी.ए.सी.सी. |
| 4. मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका (जिला महिला चिकित्सालय) | — सदस्य, डी.ए.सी.सी. |
| 5. जिलाधिकारी द्वारा अन्य विभागों से नामित सदस्य (05) | — सदस्य, डी.ए.सी.सी. |
| 6. जिलाधिकारी द्वारा एन.जी.ओ./सी.बी.ओ. से नामित सदस्य— (डी.एल.एन. को वरीयता) | — सदस्य, डी.ए.सी.सी. |
| 7. प्रतिनिधि सी.डी.ओ./ पंचायती राज/ आई.सी.डी.एस. | — विशेष आमंत्रित सदस्य |
| 8. को-आर्डिनेटर एन.एस.एस., डब्लू.एच.ओ. कन्सलटेन्ट/ आर.एन.टी.सी.पी. | — विशेष आमंत्रित सदस्य |
| 9. जिला क्षय रोग अधिकारी | — सदस्य सचिव/नोडल अधिकारी |

(उपरोक्त के अतिरिक्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष की सहमति से जनपद में कार्यरत अन्य चिकित्सा पद्धति के प्रतिनिधि, परिवहन एवं शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि आदि को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है)।

राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण संगठन (नाको), भारत सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत उ० प्र० राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी के सहयोग से वर्तमान में प्रदेश के जनपदों में निम्नलिखित कार्यक्रमों/गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है:—

- एकीकृत परामर्श एवं परीक्षण केन्द्र (ICTC/PPTCT/FICTC)
- सुरक्षा क्लीनिक (Designated STI/RTI Clinic)
- ए.आर.टी./ए.आर.टी. प्लस/लिंग ए.आर.टी. केन्द्र/सी.ओ.ई.
- रक्त सुरक्षा (Blood Bank)
- जिला एड्स रोकथाम एवं नियन्त्रण इकाई (डैप्कू)
- चिन्हित जनपदों में लक्षित हस्तक्षेप परियोजना (TI NGOs)/लिंग वर्कर स्कीम

- चिन्हित जनपदों में ओ.एस.टी. केन्द्र (Opioid Substitution Therapy Centre)

उपर्युक्त केन्द्रों/कार्यक्रमों में निम्नलिखित सेवाएं प्रदान की जाती हैं:-

1. एकीकृत परामर्श एवं परीक्षण केन्द्र (SA ICTC/PPTCT/FICTC):-

जनपद के मेडिकल कालेज/जिला चिकित्सालय/जिला महिला चिकित्सालय/सी.एच.सी./पी.एच.सी. में HIV/AIDS पर परामर्श एवं परीक्षण के लिए एकीकृत परामर्श एवं परीक्षण केन्द्र की स्थापना की गयी है। केन्द्र पर आने वाले लाभार्थियों/पंजीकृत समस्त गर्भवती महिलाओं की काउंसलिंग तथा एच.आई.वी./सिफलिस जांच हेतु उक्त केन्द्रों में काउंसलर एवं लैब टैक्नीशियन की नियुक्ति संविदा के आधार पर की जाती है। केन्द्र पर परामर्श एवं परीक्षण की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाती है। जांच में पाजिटिव पाए गए मरीजों को उपचार हेतु सम्बंधित केन्द्रों (ART Centre/STI Clinic) से लिंक कराया जाता है।

2. सुरक्षा क्लीनिक (Designated STI/RTI Clinic):-

जनपद के मेडिकल कालेज/जिला चिकित्सालय एवं जिला महिला चिकित्सालय में एस.टी.आई./आर.टी.आई. संक्रमण से ग्रसित समान्य मरीजों एवं उच्च जोखिम समूह (HRG) की जांच एवं उपचार हेतु सुरक्षा क्लिनिक (Designated STI/RTI Clinic) की स्थापना की गयी है जिसमें आने वाले रोगियों का निःशुल्क उपचार चिकित्सक की सलाहनुसार सिण्ड्रोमिक मैनेजमेन्ट के आधार पर 07 प्रकार की किट से किया जाता है तथा एच.आई.वी./सिफलिस जांच हेतु आई.सी.टी.सी./ पी.पी.टी.सी.टी. केन्द्र में रेफर किया जाता है। सिफलिस पाजिटिव मरीज/गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं का निःशुल्क उपचार भी चिकित्सक की सलाहनुसार सिण्ड्रोमिक मैनेजमेन्ट के आधार पर सुनिश्चित किया जाता है।

3. ए.आर.टी./ए.आर.टी. प्लस/लिंक ए.आर.टी. केन्द्र/सी.ओ.ई.:-

आई.सी.टी.सी./पी.पी.टी.सी.टी./सुरक्षा क्लीनिक/ रक्तकोष अथवा अन्य स्वास्थ्य इकाईयों में पाजिटिव पाए गए एच.आई.वी./एड्स मरीजों की एन्टी रिट्रो वारल थेरेपी/उपचार हेतु जनपद के जिला चिकित्सालय/मेडिकल कालेज में ए.आर.टी केन्द्र संचालित किए जा रहे हैं जिनमें जांच एवं उपचार सम्बंधी समस्त सेवाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। ए.आर.टी. केन्द्र के संचालन हेतु चिकित्सक एवं विभिन्न श्रेणियों के स्टाफ की संविदा पर नियुक्ति की गयी है।

4. रक्त सुरक्षा कार्यक्रम (Blood Bank):-

जरूरतमंदों के लिए रक्त की निर्बाध आपूर्ति हेतु राजकीय रक्तकोषों को 24x7 संचालित करने तथा अधिक से अधिक मात्रा में रक्त संग्रहीत किए जाने हेतु रक्तदाताओं की काउंसलिंग, जांच एवं रक्तदान कराने वाली सहयोगी संस्थाओं से समन्वय बैठक आयोजित कर शिविरों का आयोजन कराने के लिए विभिन्न श्रेणियों के संविदा स्टाफ की नियुक्ति की गयी है।

5. जिला एड्स रोकथाम एवं नियन्त्रण इकाई (डैप्कू):-

प्रदेश के 05 'ए' श्रेणी (High HIV prevalence rate) के जनपदों (प्रयागराज, बांदा, देवरिया, इटावा एवं मऊ), जो में चिन्हित हैं, में जिला एड्स रोकथाम एवं नियन्त्रण इकाई (डैप्कू) की स्थापना की गयी है। डैप्कू के कार्य एवं दायित्व निम्नलिखित हैं:-

- जनपद में एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्पादित किए जा रहे कार्यों की समीक्षा।
- डैप्कू द्वारा जनपद में संचालित समस्त कार्यक्रमों का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण करना तथा एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम की सुविधाओं से जन सामान्य में जागरूकता पहुँचाने तथा जनपद के अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम को सुदृढ़ करना।
- जिलाधिकारी की अध्यक्षता में प्रत्येक त्रैमास पर जिला एड्स समन्वय समिति (DACC) जिला एड्स रोकथाम एवं नियन्त्रण समिति (DAPCC) तथा एच.आई.वी. टी.बी. समन्वय समिति की नियमित बैठक का आयोजन एवं पायी गयी कमियों का निराकरण कराना।
- जिला क्षय रोग अधिकारी की अध्यक्षता में जनपद में संचालित समस्त केन्द्रों की समीक्षा/ समन्वय बैठक का नियमित आयोजन एवं पायी गयी कमियों का निराकरण कराना।

6. लक्षित हस्तक्षेप परियोजना (Targeted Intervention) TI NGOs:-

उत्तर प्रदेश में उच्च जोखिम समूह यथा-फिमेल सेक्स वर्कर (FSW) मेल हेविंग सेक्स विद मेल (MSM) ट्रांसजेन्डर/हिजडा (TG) तथा इजेक्टिंग ड्रग यूजर्स (IDUs) तथा प्रवासियों में एच.आई.वी. संक्रमण होने की सम्भावना अति प्रबल होती है। इस समूह में एच.आई.वी. संक्रमण को रोकने के लिए गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से लक्षित हस्तक्षेप परियोजना चलाई जा रही है जिसमें महिला यौन कर्मियों, एम.एस.एम., ट्रांसजेन्डर/हिजडा एवं इजेक्टिंग ड्रग यूजर्स (IDUs) तथा प्रवासियों की ICTC केन्द्रों के माध्यम से निःशुल्क एच.आई.वी. जाँच कराई जा रही है। इजेक्टिंग ड्रग यूजर्स (IDUs) में सुई सिरिज के माध्यम से नशा लेने की प्रवृत्ति है जिस कारण आई.डी.यू. में HIV Prevalence की दर सबसे अधिक पाई जाती है। अतः सुई सिरिज से नशा लेने वाले व्यक्तियों में एच.आई.वी. की रोकथाम हेतु नाको, भारत सरकार द्वारा निःशुल्क निडिल सिरिज के वितरण किये जाने की व्यवस्था की गई है।

7. लिंक वर्कर स्कीम:-

गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जनजागरुकता तथा प्रवासियों एवं उच्च जोखिम समूहों के लिए लिंक वर्कर परियोजना का संचालन किया जा रहा है। लिंक वर्कर परियोजना के अन्तर्गत District Implementing Agency (NGO) के द्वारा स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से प्रवासियों एवं उनके परिवारों को एच. आई.वी. की जाँच एवं अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं, निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त उच्च जोखिम समूह, गर्भवती महिलाओं, टी.बी. मरीजों एवं एच.आई.वी. संक्रमित व्यक्तियों को निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र के माध्यम से नियमित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

8. ओ.एस.टी. केन्द्र (Opioid Substitution Therapy Centre):-

इजेक्टिंग ड्रग यूजर्स (IDUs) में एच.आई.वी. संक्रमण होने की सम्भावना अति प्रबल होती है इस कारण 15 जनपदों में मेडिकल कालेज एवं जिला चिकित्सालयों में एच.आई.वी. की रोकथाम के लिए 16 ओ.एस.टी. केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। जिसके माध्यम से सुई सिरिज से नशा करने वाले व्यक्तियों को परामर्श के माध्यम से संवेदित करते हुये चिकित्साधिकारी की देखरेख में Direct Observation Treatment (DOT) पद्धति द्वारा ओ.एस.टी. औषधि (Buprenorphine) प्रदान की जा रही है।

9. आई.ई.सी. एवं मेनिस्ट्रीमिंग-

जनपद में एच.आई.वी./एड्स से वचाव का प्रचार-प्रसार तथा प्राप्त होने वाली निःशुल्क सेवाओं (जांच/उपचार), संक्रमित व्यक्तियों से किसी भी प्रकार का भेद-भाव नहीं किए जाने आदि के सम्बंध में जन-मानस को जागरूक करने हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जैसे:- दीवार लेखन, होर्डिंग्स फोक मीडिया कार्यक्रम, स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाता है। मेनिस्ट्रीमिंग कार्यक्रम के तहत अर्न्तजनपदीय विभागों के साथ समन्वय बैठक तथा विभिन्न प्रकार की कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है।

जनपद में उपर्युक्त कार्यक्रमों/गतिविधियों के सफल संचालन हेतु जिला एड्स समन्वय समिति कार्य एवं दायित्व निम्नवत हैं:-

मुख्य उद्देश्य:

- जन-सामान्य में एच.आई.वी./एड्स सम्बंधी जागरूकता के स्तर को बढ़ाना।
- टी.बी./एच.आई.वी. समन्वय समिति से सामंजस्य बढ़ाना तथा एच.आई.वी.-टी.बी. रेफरल का सुदृढीकरण करना।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में जिला क्षय रोग अधिकारी द्वारा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद में संचालित विभिन्न गतिविधियों/केन्द्रों की नियमित मासिक समीक्षा/समन्वय बैठक आयोजित करना तथा पायी गयी कमियों का निराकरण कराना।
- रक्तकोषों में 24x7 सुरक्षित रक्त एवं रक्त अवयव की उपलब्धता सुनिश्चित करना। स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों का आयोजन कराना। स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों के आयोजन के लिए विभिन्न विभागों/सहयोगी संस्थाओं की समन्वय बैठक आयोजित करना।

- सुरक्षा क्लीनिक (STI Clinic) में चिकित्सकों द्वारा यौन रोगियों एवं उच्च जोखिम समूह (HRG) की जाँच व उपचार सुनिश्चित कराना।
- एच.आई.वी./एड्स से संक्रमित रोगियों की देख-भाल हेतु सामाजिक एवं पारिवारिक सहयोग का वातावरण/जागरूकता अभियान चालाना ताकि एच.आई.वी./एड्स से संक्रमित रोगियों के प्रति किसी भी प्रकार का भेद-भाव ना किया जाए एवं रोगियों को भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से जोड़ना।
- विभिन्न सरकारी विभागों (जैसे:- स्वास्थ्य, पंचायतीराज, समाज कल्याण, शिक्षा विभाग, बाल महिला पुष्टाहार आदि) एवं समाजसेवी संस्थाओं के बीच समन्वय।
- कार्यक्रम के सफल संचालन में आने वाली बाधाओं का निराकरण कराना।
- समय-समय पर आयोजित होने वाले विशेष अभियान जैसे: राष्ट्रीय युवा दिवस, अन्तराष्ट्रीय महिला दिवस, विश्व रक्तदाता दिवस, अन्तराष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस, विश्व एड्स दिवस का संचालन।
- राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित होने वाले कार्यक्रम में 95-95-95 (1st 90 Testing, 2nd 90 Treatment & 3rd 90 Viral suppression) पॉलिसी के तहत सेवाओं का संचालन।
- गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं में HIV/Syphilis के संक्रमण के रोकथाम एवं उपचार हेतु 95-95-95 (1st 95 ANC Registration, 2nd 95 Testing and 3rd 95 Treatment) पॉलिसी का क्रियान्वयन।
- राजकीय रक्तकोषों द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा दिया जाए एवं प्रतिस्थानी रक्त पर निर्भरता कम की जाए। इसके लिए विभिन्न विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं की सहभागिता से अधिक से अधिक स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाए जिसमें प्रति शिविर लगभग 75 यूनिट रक्त एकत्र करने का लक्ष्य रखा जाए एवं रक्त अवयव पृथक्कीकरण इकाई में 85 प्रतिशत अवयव बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा चिकित्सकों को रक्त के अवयव के प्रयोग करने हेतु निर्देशन।
- जनपद में संचालित टी.आई. परियोजना सहायतित एन.जी.ओं की समीक्षा एवं विश्वविद्यालयों में रेड-रिबन क्लब की स्थापना एवं क्रियाशीलता।
- राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत उ0प्र0 राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी के सहयोग से जनपद की विभिन्न स्वास्थ्य इकाईयों में संचालित होने वाले समस्त केन्द्रों/घटकों में रक्त संविदा पदों पर नियुक्ति का दायित्व जिला एड्स समन्वय समिति का होगा (चयन प्रक्रिया/गाईड-लाइन) उ0प्र0 राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी द्वारा अलग से प्रेषित की जाएगी।
- वित्तीय वर्ष की समाप्ति उपरान्त उ0प्र0 राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी द्वारा राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों के आयोजन हेतु अवमुक्त की गयी अग्रिम धनराशियों का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किया जाना।
- जिलाधिकारी की अध्यक्षता में प्रत्येक त्रैमास में जिला एड्स समन्वय समिति की बैठक आहूत करना। जिला स्वास्थ्य समिति (DHS) की बैठक में जिला एड्स समन्वय समिति के एजेण्डा बिन्दु भी सम्मिलित किए जाएं। उचित होगा दोनो बैठक एक साथ आहूत की जाएं। आहूत की जाने वाली बैठक में निम्नलिखित एजेण्डा बिन्दु सम्मिलित किया जाए:-

एजेण्डा बिन्दु:-

1. राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद में आयोजित होने वाली विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों की समीक्षा एवं अग्रिम त्रैमास की कार्य-योजना तथा कार्यवृत्त के अनुपालन की समीक्षा।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में जिला क्षय रोग अधिकारी द्वारा आहूत टी.बी.-एच.आई.बी. एवं राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम के संचालित समस्त गतिविधियों/केन्द्रों की मासिक बैठक तथा मरीजों को एक केन्द्र से दूसरे केन्द्रों में रेफरल की समीक्षा।

3. सुरक्षा क्लीनिक (STI Clinic) में चिकित्सक द्वारा रेफर किए गए यौन रोगियों एवं उच्च जोखिम समूह (HRG) को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की समीक्षा।
4. गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं में HIV/Syphilis संक्रमण के उपचार हेतु 95-95-95 पॉलिसी के तहत प्रदेश की समस्त स्वास्थ्य इकाईयों एवं वी.एच.एन.डी. सत्रों पर (PoC test kits for syphilis screening & WBFPT test kit for HIV screening) की उपलब्धता की समीक्षा तथा एच.एम.आई.एस. पोर्टल पर अपलोड ऑकड़ों का वैलीडेशन।
5. रक्तकोषों में एकत्रित रक्त यूनिट एवं तैयार किए गए अवयव तथा जनपद में आयोजित रक्तदान शिविरों में कुल एकत्रित रक्त यूनिट एवं लाभार्थियों को प्रदान किए गए रक्त यूनिट/अवयव की समीक्षा।
6. विशेष दिवसों पर जन जागरूकता हेतु कार्यक्रमों के आयोजन की कार्य-योजना जैसे:-12 जनवरी- राष्ट्रीय युवा दिवस, 08 मार्च- अन्तराष्ट्रीय महिला दिवस, 14 जून- विश्व रक्तदाता दिवस, 12 अगस्त- अन्तराष्ट्रीय युवा दिवस, 01 अक्टूबर- राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस, 01 दिसम्बर-विश्व एड्स दिवस।
7. जनपद की आवश्यकतानुसार अध्यक्ष की सहमति से अन्य बिन्दु।

राष्ट्रीय एड्स कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु आप सभी का सहयोग आवश्यक है। मुझे विश्वास है कि उपरोक्त दिशा-निर्देश अनुरूप जिला एड्स समन्वय समिति की नियमित बैठक आहूत की जाएगी एवं बैठक का कार्यवृत्त परियोजना निदेशक, उ0प्र0 राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी को समय से उपलब्ध कराया जाएगा।

मैं अपेक्षा करूंगा कि आप अपने जनपद में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु कार्यक्रम के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन में अपना विशेष योगदान देंगे।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(अमित मोहन प्रसाद)
अपर मुख्य सचिव

पृष्ठोंकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, उ0प्र0 राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी, लखनऊ।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
5. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, लखनऊ।
6. समस्त कुलपति/निदेशक/प्रधानाचार्य, चिकित्सा विश्वविद्यालय/संस्थान/मेडिकल कालेज, उ0प्र0।
7. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
8. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0।
9. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय/जिला संयुक्त चिकित्सालय, उ0प्र0।
10. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, उ0प्र0।
11. समस्त जिला क्षयरोग अधिकारी/जिला एड्स कार्यक्रम अधिकारी, उ0प्र0।
12. समस्त कार्यक्रम प्रभारी, उ0प्र0 राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी, लखनऊ।

12-7-21

(अमित मोहन प्रसाद)
अपर मुख्य सचिव